न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3284–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2012 पारित द्वारा नजूल अधिकारी, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 1/अ–6/2009–10.

1– श्रीमती इंदिरा अग्निहोत्री
पत्नी स्व. श्री त्रिभुवन मोहन अग्निहोत्री
2– आशुतोष अग्निहोत्री
आत्मज स्व. श्री त्रिभुवन मोहन अग्निहोत्री
3– अंशुल उर्फ बन्टु अग्निहोत्री
आत्मज स्व. श्री त्रिभुवन मोहन अग्निहोत्री
निवासीगण थाने के पीछे, कोठी बाजार, बैतूल
तहसील व जिला बैतूल
4– श्रीमती मिथलेश अग्निहोत्री
पत्नी स्व. श्री मनमोहन अग्निहोत्री
5– श्रीमती मधु चतुर्वेदी पत्नी संदीप चतुर्वेदी
पुत्री स्व. श्री मनमोहन अग्निहोत्री
निवासी श्रीकांत पेलेस, इंदौर
तहसील व जिला इंदौर
6– श्रीमती वीणा शुक्ला पत्नी राकेश शुक्ला
पुत्री स्व. श्री मनमोहन अग्निहोत्री
निवासी शिवशक्ति नगर कनाडिया रोड, इंदौर
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

चन्द्रमोहन अग्निहोत्री
आत्मज स्व. श्री रमेशचंद्र अग्निहोत्री
निवासी देवामाई की समाधि के पास,
सदर बाजार, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 16 जनवरी, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नजूल अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 16–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नजूल अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के पिता के चाचा स्वर्गीय गंगाराम अग्निहोत्री द्वारा एक पंजीकृत वसीयतनामा स्वर्गीय रमेशचंद्र अग्निहोत्री के पक्ष में दिनांक 29–8–49 को निष्पादित किया गया था। इसके पश्चात स्वर्गीय रमेशचंद्र अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 2–2–99 को अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया । वह दिनांक 20–9–2009 को अपनी सम्पत्ति से संबंधित विभिन्न कागजातों को पढ़ एवं समझ रहा था, तब अनावेदक का ध्यान स्वर्गीय गंगाराम अग्निहोत्री द्वारा स्वर्गीय रमेशचंद्र के पक्ष में निष्पादित वसीयत पर गया। उपरोक्त वसीयतों के अनुसार सीट क्रमांक 47 प्लाट क्रमांक 39 रकबा लगभग 8250 वर्गफीट अनावेदक को स्वत्व एवं हक प्राप्त है । अतः उपरोक्त 8250 वर्गफीट पर राजस्व अभिलेखों में उसका नामांतरण किया जाये एवं उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन किए जाने के आदेश प्रदान किया जाये। नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य आधारों के साथ–साथ मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 29–8–49 के जो वसीयत प्रस्तुत की है, वह हस्तलिखित है, और किसके द्वारा लिखी गई है, यह स्पष्ट नहीं है सब रजिस्ट्रार की सील भी अस्पष्ट है । दिनांक 19–9–1964 को वसीयत पर अनावेदक के हस्ताक्षर है, इसलिए वसीयत की जानकारी 1964 में ही अनावेदक को हो गई थी, अतः आवेदन पत्र में यह कथन पूर्णतः गलत है कि वाद कारण दिनांक 20–9–2009 को उत्न्न हुआ जब वसीयत देखी गई । स्वर्गीय गंगाराम अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 20–11–1952 को आवेदिका क्रमांक 1 के पति स्वर्गीय त्रिभुवन मोहन अग्निहोत्री के पक्ष में बक्शीसनामा निष्पादित किया गया है, और

नजूल खसरे में आवेदिका कमांक 1 के पति का नामांतरण भी हो गया है, अतः वसीयतनामा का तथ्य झूठा है, इसलिए अनावेदक का आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 16–8–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदिका कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नजूल अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा वारिसान के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है, जबकि आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व में ही नामांतरण हो चुका है । यह भी कहा गया कि नजूल अधिकारी द्वारा आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षिप्ततः आदेश पारित कर निरस्त किया गया है और आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ नजूल अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण की ओर से उठाए गए समस्त आधारों पर विचार कर विस्तृत आदेश पारित करें ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 एवं अनावेदक द्वारा नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब में जो आधार उठाए गए हैं, उनका निराकरण साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है कि क्या स्वर्गीय गंगाराम अग्निहोत्री द्वारा स्वर्गीय रमेशचंद्र अग्निहोत्री के पक्ष में दिनांक 21–8–49 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अथवा नहीं, और क्या स्वर्गीय गंगाराम अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 23–12–1952 को स्वर्गीय त्रिभुवन मोहन अग्निहोत्री के पक्ष में बक्शीसनामा निष्पादित किया गया है, अथवा नहीं । अतः नजूल अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर शंका कर आपत्ति की गई है । ऐसी स्थिति में वसीयतनामा का सूक्ष्य परीक्षण करना प्रकरण के विधिसम्मत निराकरण हेतु आवश्यक है,

और वसीयतनामा का परीक्षण साक्ष्य से ही किया जा सकता है, आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंत कार्यवाही की गई है, जिस कारण नजूल अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि नजूल अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया है, क्योंकि नजूल अधिकारी द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण की ओर से उठाई गई आपत्तियों का विस्तार से उल्लेख कर विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है । दर्शित परिस्थतियों में नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर